

8/A

जनपद— टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 2.00 कि०मी०) के निर्माण हेतु अपेक्षित 1.014 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड, थत्पूड को (वन संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन की स्वीकृति विषयक मार्ग के समरेखण में बाधित बांज वृक्षों की निरीक्षण टिप्पणी ।

### बांज वृक्षों की निरीक्षण टिप्पणी

जनपद जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग ( लम्बाई 2.00 कि०मी० )के निर्माण हेतु अपेक्षित 1.014 हेक्टेअर वन भूमि लोक निर्माण विभाग, अस्थाई खण्ड, थत्पूड को वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य के लिए भूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित मार्ग के समरेखण में कुल 103 वृक्ष बाधित हो रहे हैं, जिसमें बांज प्रजाति के 59 वृक्ष बाधित हैं। बाधित वृक्ष में वन भूमि में 89 वृक्ष जिसमें 48 वृक्ष बांज प्रजाति के सम्मिलित हैं तथा नाप भूमि 14 वृक्ष में बाधित हैं जिसमें बांज प्रजाति के 11 वृक्ष सम्मिलित हैं। विवरण निम्न प्रकार है :-

भूमि का प्रकार	रेंज / ब्लाक	बांज वृक्षों का ब्यास वर्ग वार विवरण									
		0.10	10.20	20.30	30.40	40.50	50.60	60.70	70.80	90 से ऊपर	योग
आरक्षित वन भूमि	जौनपुर रेंज मगरा क०न०-2 कुल बाधित वृक्ष (10 वृक्ष)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	मगरा क०न०-1 कुल बाधित (35 वृक्ष)	0	18	02	01	0	0	0	0	0	21
	अलमस क०न०03 कुल बाधित (15 वृक्ष)	0	05	07	01	0	0	0	0	0	13
सिविल वन भूमि	सिविल भूमि रौतू की बेली (29 वृक्ष)	0	08	04	02	0	0	0	0	0	14
योग	( 89 वृक्ष)	0	31	13	4	0	0	0	0	0	48
नाप भूमि	ग्राम रौतू की बेली ( 14 वृक्ष)	0	08	03	0	0	0	0	0	0	11
	कुल योग (103 वृक्ष)	0	39	16	04	0	0	0	0	0	59

सड़क के समरेखण में आ रहे बांज वृक्षों का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वनक्षेत्राधिकारी, जौनपुर एवं फील्ड स्टाफ के साथ दिनांक 19-05-2014 को किया गया है। प्रस्तावित समरेखण में उपरोक्त सारिणी में दर्शित 10-20 ब्यास वर्ग के 49 वृक्ष सैपलिंग की अवस्था में जिनका प्रस्तावित परियोजना के आस-पास रिक्त स्थानों पर प्रत्यारोपण किया जाना आवश्यक है, जिससे पर्यावरणीय दृष्टि से वृक्षों का पातन कम से कम हो। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 2800 /20-2 दिनांक 20-5-2014 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी को निरीक्षण टिप्पणी की आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है।

( आर०के०मिश्र )

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।